प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.11.23

थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा एक जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 09.11.2023 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक जिला बदर अपराधी विकास पुत्र महीपाल निवासी ग्राम पतला थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद को ग्राम पतला थाना निवाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त को दिनांक 14.06.2023 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह हेतु जनपद गाजियाबाद की सीमा से जिला बदर था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विकास पुत्र महीपाल निवासी ग्राम पतला थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र- 20 वर्ष,

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाड़ी पर चोरी आदि के 12 अभियोग पंजीकृत है,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने वाले 02 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 60 हजार रुपये व लूटी गयी स्कूटी बरामद

दिनांक 31.10.23 को थाना क्रासिंग रिपब्लिक पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक व्यापारी से कैश एकत्र कर घर जाते समय उसकी स्कूटी व कैश लूटने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा था। आज दिनांक 10.11.23 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 02 शातिर लूटेरे 1. योगेश पुत्र शंकर निवासी म0नं0 165 सरकारी स्कूल के पास डी ब्लोक सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, 2. चिराग पुत्र सोमनाथ निवासी गली नं0 7 इन्द्रा इन्कलेव गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटे गये रुपयों में से 60 हजार रुपये तथा लूटी गयी स्कूटी बरामद हुई है। विवेचना के दौरान घटनास्थल थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर का होने के कारण विवेचना सम्बन्धित थाने को स्थानान्तरित की जा रही है अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगो ने एक व्यक्ति से लगभग दिन पूर्व रुपये व उसकी स्कूटी लूटी थी हमें मालूम था कि वह आज पैसे इकट्ठे करके ले जा रहा है तो हमने उसका पीछा किया तथा मौका पाकर उसकी स्कूटी व पैसे लूट कर भाग गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. योगेश पुत्र शंकर निवासी म0नं0 165 सरकारी स्कूल के पास डी ब्लोक सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष,
2. चिराग पुत्र सोमनाथ निवासी गली नं0 7 इन्द्रा इन्कलेव गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष,

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त योगेश के विरुद्ध जनपद गौतमबुद्धनगर पर लूट का 01 अभियोग व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक लूट का माल बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत है,

अभियुक्त चिराग के विरुद्ध थाना पिलखुआ हापुड पर अवैध शराब के 02 अभियोग व जनपद गौतमबुद्धनगर लूट का 01 अभियोग व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक लूट का माल बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत है,

बरमदगी का विवरणः

- लूटे गये रुपयों में से 60 हजार रुपये,
- लूटी गयी स्कूटी,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना कारित करने वाले 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से लूट के 6,30,000/- रुपये, अवैध असलाह तथा लूट मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 04/11/2023 को वादी श्री कमल उर्फ कमलेन्दू पुत्र कुंदनलाल निवासी पुराना आर्य नगर थाना कोतवाली नगर गाज़ियाबाद के द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा वादी की स्कूटी व नौ लाख पचास हजार रु लूटने के सम्बन्ध मे दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया तथा दिनांक 10/11/2023 को मुखबिर की सूचना पर विजयनगर आर0ओ0बी0 के निकट चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा बिना नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार के द्वारा मोटर साइकिल को पीछे मोडकर भागने का प्रयास किया गया इस पर पुलिस द्वारा पीछा कर रोकने का प्रयास किया गया तो अपने को घिरता देख भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया। इस पर पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ किये गये जबावी फायर मे एक अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र रमेश कुमार पैर मे गोली लगने से घायल हुआ जिसको पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेर घोट कर घायल अवस्था मे गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा बदमाश अन्धेरे का फाय़दा उठाकर फरार हो गया, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्ज़े से इनके द्वारा लूटे गये दो लाख तीस हजार रुपये तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा अवैध असलाह बरामद हुआ। पूछताछ से प्रकाश में आयें अन्य अभियुक्तगणो रोहित, विश्वनाथ, विनय तिवारी, राहुल को मुखबिर की सूचना पर इण्डस्ट्रीयल एरिया थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्ज़े से चार लाख रुपये (लूट के) बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि संदीप स्टील लोहा मण्डी मे संदीप गोयल के पास काम करने वाले विनय तिवारी के द्वारा कलैक्शन एजेन्ट कमलेन्दू गुप्ता व स्कूटी के सम्बध मे राहुल को जानकारी दी गई थी तथा राहुल ने अपनी पहचान के मनोज,रोहित,विश्वनाथ व शोभित शर्मा को कमलेन्दू गुप्ता के बारे मे बताया। जिसके बाद मनोज,रोहित,विश्वनाथ व शोभित शर्मा ने मिलकर वादी मुकदमा के साथ आर0ओ0बी0 फ्लाई ओवर के ऊपर लूट की घटना को अंजाम दिया था ।

नाम पता अभियुक्त-

1.मनोज कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी महेन्द्रा इन्क्लेव थाना कविनगर जनपद गाज़ियाबाद उम्र-28 वर्ष
2.रोहित पुत्र राजकुमार निवासी झुग्गी झोप़डी आरटीओ ऑफिस के पास थाना कविनगर जनपद गाज़ियाबाद उम्र-24 वर्ष
3.विश्वनाथ पुत्र शंकर निवासी रजापुर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद उम्र-22 वर्ष
4.विनय तिवारी पुत्र बृजकिशोर निवासी भाटिया मोड के पास थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद उम्र-42 वर्ष
5.राहुल पुत्र आन्नद निवासी दौलत पुरा थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद उम्र-25 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र रमेश कुमार के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद मे चोरी के 03 ,आर्म्स एक्ट का 01 ,गैगस्टर एक्ट का 01,लूट का 01 व जानलेवा हमले का 01 कुल 07 अभियोग पंजीकृत है।
2.अभियुक्त रोहित पुत्र राजकुमार के विरुद्ध जनपद गाज़ियाबाद लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है।
3.अभियुक्त विश्वनाथ पुत्र शंकर के विरुद्ध जनपद गाज़ियाबाद लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है।
4.अभियुक्त विनय तिवारी पुत्र बृजकिशोर के विरुद्ध जनपद गाज़ियाबाद लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है।
5.अभियुक्त राहुल पुत्र आनन्द के विरुद्ध जनपद गाज़ियाबाद लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी-

1. कुल 06 लाख 30 हजार रु0 (लूटी गई धनराशी)
2. एक तमंचा मय कारतूस
3. घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

स्वाट टीम सिटी व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा मोबाइल लूट की घटना का सफल अनावरण कर 02 शातिर लूटेरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 04.11.23 को थाना लोनी बोर्डर पर वादिया ने सूचना दी कि मोटर साइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति वादिया का मोबाईल छीनकर भाग गये है। थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व मैनुअल इन्पुट आदि के माध्यम से उक्त घटना का सफल अनावरण कर आज दिनांक 10.11.23 को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये 02 शातिर लूटेरे 1. हिमान्शु मित्तल उर्फ मोहित पुत्र स्व0 राकेश मित्तल निवासी डी 46 शान्ति नगर शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली, 2.मोहन पंवार उर्फ मोनू पुत्र स्व0 बृजपाल निवासी गली न0- 03 सरस्वती विहार थाना लोनी, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया यह मोबाईल हम दोनो ने शहीद भगत सिंह पार्क के पास पैदल जा रही एक लडकी के हाथ से छीना था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता–

1.हिमान्शु मित्तल उर्फ मोहित पुत्र स्व0 राकेश मित्तल निवासी डी 46 शान्ति नगर शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष

2.मोहन पंवार उर्फ मोनू पुत्र स्व0 बृजपाल निवासी गली नं0- 03 सरस्वती विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- लूटा गया मोबाईल,
- घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम।